अध्याय III - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

3.1 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय कानूनों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243क्यू से 243जेडजी के माध्यम से नगरपालिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधान प्रस्तुत किये। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किये जैसा कि निम्न **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय कानूनों की तुलना

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/ अधिनियमों का प्रावधान (धारा–वार)
अनुच्छेद 243क्यू	**नगरपालिकाओं का गठन:** यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है अर्थात् संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4।
अनुच्छेद 243आर	**नगरपालिकाओं की संरचना:** एक नगरपालिका में सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनावों और सरकार द्वारा नामित नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका में संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो शहर के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6।
अनुच्छेद 243एस	**वार्ड समिति का गठन और संरचना:** यह सभी नगरपालिकाओं जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो, उसमें वार्ड समितियों के गठन को प्राविधानित करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(बी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6(ए)।
अनुच्छेद 243टी	**सीटों का आरक्षण:** प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अनु0जा0/ अ0जन0, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित किया जाना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 9(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 7।
अनुच्छेद 243यू	**नगरपालिकाओं की अवधि:** नगरपालिका का अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना और कार्यकाल की समाप्ति से पहले या इसके विघटन के छह माह के अंतर्गत पुनः निर्वाचन कराया जाना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 10(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 8।
अनुच्छेद 243वी	**सदस्यता के लिए अयोग्यता:** एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा– • यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत अयोग्य है। • यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत अयोग्य है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(डी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 80 और 83।
अनुच्छेद 243डब्ल्यू	**नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व:** सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त बनाया जाएगा जो उन्हें स्व–शासन के प्रभावी संस्थानों के	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 और उत्तर प्रदेश नगर निगम

	रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। राज्य सरकार ऐसी शक्तियां और प्राधिकार सौंपेगी जिससे वे 12वीं अनुसूची में निहित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ हों।	अधिनियम की धारा 114।
अनुच्छेद 243एक्स	**नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति, और उसकी निधियाँ:** ● नगरपालिकाओं को करों, शुल्कों, ड्यूटी आदि को लगाने और संग्रहित करने का अधिकार दिया जाएगा। ● राज्य से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा ● नगरपालिका द्वारा धन के जमा और निकासी के लिए निधियों का गठन	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128, 127(सी) और 114 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172, 138(ए) और 139।
अनुच्छेद 243वाई अनुच्छेद 243आई के साथ पढ़ा जाय	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार निम्नलिखित हेतु वित्त आयोग का गठन करेगी ● नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे कदम उठाना जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता करे। ● राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पथकर और ड्यूटी की शुद्ध आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण। ● राज्य की समेकित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियां आवंटित करना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127(सी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 138(ए)
अनुच्छेद 243जेड	**नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा:** यह नगरपालिकाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 95(ई) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 142।
अनुच्छेद 243जेडए अनुच्छेद 243के के साथ पढा जाय	**नगरपालिकाओं के चुनाव:** नगरपालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रिया की देख–रेख, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 13(बी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 45।
अनुच्छेद 243जेडडी	**जिला योजना के लिए समिति:** ● जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। ● जिला योजना समिति की संरचना। ● विकास योजना का मसौदा तैयार करना और सरकार को अग्रेषित करना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383(ए)।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 243जेडई	**महानगर योजना के लिए समिति:** 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान।	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 57(ए)।

उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत है कि अधिनियमित कानून 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। फिर भी, कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेन्द्रीकरण की गारंटी नहीं देता है जब तक कि प्रभावी रूप से क्रियान्वित न किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भावना फलीभूत नहीं हुई है। यह विशेष रूप से कार्यों के हस्तांतरण और प्रभावी विकेन्द्रीकरण के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण से संबंधित प्रावधानों के मामले में विशेष रूप से सही था, जिन पर चर्चा अनुवर्ती अध्यायों में की गई है।